न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 12/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद जिला—बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री रवि सिवंर पुत्र श्री बालमुकुन्द मैसर्स बालाजी स्वीट्स, हनुमान चौराहा,
समरानिया तहसील—शाहबाद जिला—बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :—1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री ओम मेहता,अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक— 04.03.2020

1— प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 02.05.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी, बारां के साथ मैसर्स बालाजी स्वीट्स, हनुमान चौराहा, समरानिया पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 के.जी.) एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये। वक्त जॉच मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में उपस्थित रवि सिवंर से पूछताछ की गई जिसने कोई सतोंषप्रद जवाब नहीं दिया ना हीं मौके पर इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है—

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	763071 E	INDANE	14.2	15.4	15.5	0.1
2	188570E	INDANE	14.2	16.0	30.0	14.0
3	514518	INDANE	14.2	15.6	18.7	3.1
						17.2

इस प्रकार उक्त दूकान मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों, एक भट्टी चूल्हे, को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री [illegible] खॉ नि. समरानिया हाल प्रतिनिधि मै. समरानिया गैस ऐजेन्सी की सु[illegible] दिये गये। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.2 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी चूल्हा मय पाईप का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी अभिभाषक को लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब इस्तगासा पेश नहीं किया। तत्पश्चात् जवाब अप्रार्थी बंद किया जाकर बहस विद्वान पेरोकार रसद व अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार रसद ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि शाहबाद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 02.05.2018 को अप्रार्थी की व्यवसायिक दूकान मैसर्स बालाजी स्वीट्स, समरानिया पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक चुल्हा पाया गया। जिनमें से एक सिलेण्डर से चुल्हा जुडा हुआ था जिससे मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में मौके पर उपस्थित दूकान मालिक से पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी पर घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप सर्वथा मिथ्या है। सम्पूर्ण जॉच कार्यवाहीं प्रवर्तन निरीक्षक ने कार्यालय में बैठकर पूर्ण की है। रिपोर्ट में ना तो स्वतंत्र गवाह के बयान है ना हीं हस्ताक्षर है। सरकारी स्तर से कार्यवाहीं रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो दुर्भावना से ग्रसित एवं आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की दूकान से जो सिलेण्डर जप्त किये है, वह घरेलू सिलेण्डर है तथा घर के उपयोग के लिये हीं है। उसके द्वारा किसी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। इस्तगासे में जिस प्रकार लिखा है कि मौके पर उक्त सिलेण्डरों से मिठाई बनायी जा रहीं है, उक्त कथन कयास मात्र हीं है। जप्तशुदा सिलेण्डर मात्र घरेलू उपयोग के हीं है। उसका निवास दूकान से दूर होने से गैस ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसकी दुकान पर हीं कर देते है। अप्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूॅचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसकी दूकान में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट तैयार कर, केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित है जो निरस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 3 मय गैस एवं एक चुल्हा भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा अप्रार्थी की व्यवसायिक दूकान मै0 बालाजी स्वीट्स, हनुमान चौराहा, समरानिया पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं चुल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहबाद द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय 17.2 किग्रा. गैस एवं एक चुल्हा भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी इन्डेन में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested